न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—360/2018/223 (2018/00360)

1. श्रीमती सोहनी देवी पत्नि स्व0 घीसूसिंह, जाति मेहरात,
2. मदनसिंह पुत्र स्व0 घीसूसिंह, जाति मेहरात,
3. रमेश सिंह पुत्र स्व0 श्री घीसूसिंह, जाति मेहरात,
   समस्त निवासी ग्राम राजियावास, तह0 ब्यावर, जिला अजमेर ।

अपीलांटस

बनाम

1. देवा पुत्र गुलाबा, जाति मेहरात, निवासी ग्राम राजियावास, तह0 ब्यावर जिला अजमेर ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, ब्यावर, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर दिनांक 23.5.2017 अंतर्गत वाद संख्या 68/2015 .

उपस्थितः—

1. श्री भींयाराम चौधरी, वकील अपीलांटस ।
2. श्री रमेश आचार्य, वकील रेस्पो0 संख्या 1
3. श्री धर्मवीर चौधरी, पैरोकार सरकार रेस्पो0 संख्या 2.

निर्णय

दिनांकः— 15.01.2019

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर के निर्णय व डिक्री दिनांक 23.5.2017 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी/रेस्पो0 संख्या 1 ने अधी0न्याया0 में वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा राजियावास, तहसील ब्यावर की जमाबंदी संवत् 2070 से 2073 के खसरा संख्या 985 रकबा 2—16—00 भूमि के खातेदार प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के पति/पिता घीसूसिंह उर्फ घीसा पुत्र भवाना थे जिन्होंने वादी को दिनांक 16.4.1979 को बेचान की एवं उप पंजीयक, ब्यावर के समक्ष उपस्थित वादी के हक में पंजीयन करवा दिया । बरोज खरीद वादी वादग्रस्त भूमि पर काबिज काश्त चला आ रहा है किन्तु वादी ने अपने राजस्व रिकार्ड की नकलें ली तो ज्ञात हुआ कि वादग्रस्त भूमि आज भी बेचानकर्ता के नाम ही दर्ज चली आ रही थी तथा विक्रेता के देहांत के बाद प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर दी गई जो पूर्णतया गलत है । अतः वाद वादी स्वीकार कर वादी को विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादीगण को

जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे । विद्वान अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 23.5.2017 को वादी/रेस्पो0 संख्या 1 का वाद डिक्री करने के आदेश पारित किये । अधी0न्याया0 के इस निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 के उपस्थित होने तथा अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांट ने अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि अधी0न्याया0 ने वाद एवं जवाबदावे के आधार पर तनकियात अवश्य कायम की किन्तु निर्णय तनकीवार नहीं किया है जबकि आदेश 20 नियम 5 एवं आदेश 41 नियम 41 जा0दी0 में प्रावधित प्रावधनों के अनुसार परीक्षण न्यायालय को तनकीवार निर्णय पारित करना चाहिये । विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में आगे कथन किया कि अधी0न्याया0 ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि विवादित आराजी के मूल खातेदार भगवाना पुत्र हमीरा थे और जमाबंदी में कभी भी घीसूसिंह पुत्र भगवाना के नाम से आराजियात जमाबंदी संवत 2070 से 2073 के खाता संख्या 466 के खसरा नंबर 985 रकबा 2 बीघा 16 बिस्वा भगवाना पुत्र हमीरा के नाम दर्ज है तो घीसूसिंह ने उक्त आराजियात को न तो बेचान किया और न ही बेचान करने का अधिकार ही था । अपीलांटस विवादित आराजी के जरिये नामांतकरण संख्या 1355 दिनांक 4.6.2015 से रिकार्डेड खातेदार हो गये है तथा उक्त आराजी न तो बैचान हुआ तथा फर्जी बेचान की जांच पुलिस थाना ब्यावर में प्रकरण विचाराधीन है इसलिये जब उक्त जांच पूरी नहीं हो जाती है तब तक अधी0न्याया0 को वाद डिक्री करने का अधिकार नहीं था । अधी0न्याया0 ने इस महत्वपूर्ण बिन्दु को नजरअंदाज कर दिया कि अपीलांट द्वारा प्रश्नगत भूमि बाबत् खातेदारी चाही गई उसका कोई खण्डन प्रतिवादी/रेस्पो0 की और से नहीं किया गया था इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने वाद डिक्री कर दिया दिया जो निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 ने अपीलांटस को सुनवाई व साक्ष्य का अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन निर्णय पारित की है जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री निरस्त की जावे ।

5. जवाब में विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् है । रेस्पो0 संख्या 1 ने जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र के खसरा नंबर 951 व 985 क्रय की थी जिसमें खसरा नंबर 951 का नामातकरण तो रेस्पो0 के नाम खुल गया किन्तु खसरा नंबर 985 रकबा 2 बीघा 16 बिस्वा भूमि का नामांतकरण रेस्पो0 के नाम खुलने से रह गया । रेस्पो0 विवादित आराजी का सद्भाविक क्रेता है जो क्रयशुदा भूमि को अपने नाम दर्ज कराने का अधिकारी है। विवादित आराजियात से अपीलांटस का कोई संबंध नहीं है । जहां तक विक्रय पत्र के संबधं में पुलिस थाना में एफ0आइ0आर0 विचाराधीन होने का प्रश्न है जब तक विक्रय पत्र फर्जी साबित नहीं हो जाता है तब तक विक्रय से इंकार नहीं किया जा सकता है । अधी0न्याया0 का निर्णय विधिसम्मत् है जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः अपीलांटस खारिज की जावे ।

6. जवाब में विद्वान राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 ने कथन किया कि पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के परिप्रेक्ष्य में अपील को निर्णित किया जावे ।

7. हमनें उभयपक्ष बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । अपीलांटस का मुख्य है कि अधी0न्याया0 ने वाद में वादपत्र एवं जवाबदावे के आधार पर आवश्यक तनकियात

कायम किये बिना तथा अपीलांटस को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बगैर अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो विधिक प्रक्रिया का उल्लंघन है । इस संबंध में अधी0न्याया0 की पत्रावली एवं निर्णय व डिक्री का अवलोकन किया । अधी0न्याया0 के समक्ष वादी/रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा वाद प्रस्तुत किये जाने पर प्रतिवादीगण/अपीलांटस ने अधी0न्याया0 में उपस्थिती प्रदान की तथा जवाबदावा हेतु समय चाहा । इसके उपरांत पत्रावली लगभग 10–11 पेशियों तक पत्रावली में तारीख तब्दील की जाती रही तथा दिनांक 23.5.2017 को प्रकरण राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार कैम्प कोर्ट राजियातवास में रखकर दिनांक 23.5.2017 को ही निर्णय व डिक्री पारित की है । अधी0न्याया0 ने वाद को निर्णित करने से पूर्व में वादपत्र एवं जवाबदावा के आधार पर कोई तनकियात कायम नहीं की जबकि आदेश 20 नियम 5 एवं आदेश 41 नियम 31 जा0दी0 के प्रावधानों के अनुसार परीक्षण न्यायालय को वाद में आवश्यक तनकियात कायम कर तनकीवार निर्णय पारित करना चाहिये था किन्तु अधी0न्याया0 द्वारा आदेश 20 नियम 5 एवं आदेश 41 नियम 31 जा0दी0 के प्रावधानों के विपरीत वाद को सरसरी तौर पर निर्णित किया है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि अधी0न्याया0 में अपीलांटस को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर भी प्रदान नहीं किया है जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है। उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, ब्यावर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री विधिक प्रक्रिया के विरूद्ध होने से निरस्त योग्य तथा प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है ।

8. अतः अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, ब्यावर का निर्णय व डिक्री दिनांक 23.5.2017 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधी0न्याया0 को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे वाद में वादपत्र एवं जवाबदावा के आधार पर आवश्यक तनकियात कायम कर उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर वाद को गुणावगुण पर निर्णित करे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

9. निर्णय आज दिनांक 15.1.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर